67

राजस्थान सरकार

क्रमांक/प.12.3.(अ)(6)आरए/81 कार्यालय जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

दिनांक 12 जुलाई, 1994

आदेश

राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति क्रमांक प 10(151)राज:ग्रुप-4/81 दिनांक 13.1.1982 से शिक्षा विभाग, भीलवाड़ा को कामर्स कालेज की स्थापना हेतु भूमि आवंटित की गई थी, जिस पर एक भवन मोडीम केमीकल ट्रस्ट, बम्बई द्वारा निर्माण किया गया था, उक्त भवन को अब उक्त ट्रस्ट ने केन्द्रीय विद्यालय, भीलवाड़ा के प्राचार्य को सिपुर्द कर दिया है।

राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक प 2(117)राज:2/94 दिनांक 17.6.94 से शिक्षा विभाग, भीलवाड़ा को कामर्स कालेज की स्थापना हेतु आवंटित चौबीस बीघा भूमि को निरस्त करते हुये ग्राम सुवाणा की आ.नं. 3160 मी रकबा 36 बीघा में से 19.3 बीघा, ग्राम भीलवाड़ा की आ.नं. 1039 मी. में से 19 बिस्वा और 1040 मी में से 3 बीघा 18 बिस्वा कुल मिला कर रकबा चौबीस बीघा भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली को केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण कार्य अकृषिकृत राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार निम्न शर्तों पर आवंटित की जाती है:-

1. भूमि का आवंटन निःशुल्क होगा।
2. यह आवंटन 30 वर्षों के लिये होगा, तत्पश्चात राज्य सरकार पुनरीक्षण करेगी कि आवंटित भूमि उसी कार्य में उपयोग की जा रही है, जिसके लिये आवंटन की गई थी। यह अवधि एक और 30 वर्षीय अवधि के लिये विनीकृत की जा सकेगी। लीज डीड फार्म 1 में सम्पादित करनी होगी।
3. भूमि का कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने के लिये कोई प्रीमियम या अन्य [illegible] वसूल नहीं होगा।
4. भूमि का उसी प्रयोजन के लिये उपयोग किया जायेगा जिसके लिये यह आवंटित की गई।
5. ऐसी भूमि पर निर्मित किसी भवन आदि का उपयोग विद्यालय कार्य के लिये ही किया जायेगा तथा भूमि को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
6. भूमि पर समस्त स्वत्व राज्य सरकार के होंगे।
7. आवंटिती उपरोक्त वर्णित शर्तों में से प्रत्येक का पालन करने के लिये लिखित में वचनबद्ध होगा।
8. उपरोक्त में से किसी का उल्लंघन किये जाने की दशा में भूमि उस पर निर्मित भवन आदि सहित राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित हो जायेगी और उसके लिये किसी प्रकार का मुआवजा का कोई हक नहीं होगा।

जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:-

1. सहायक आयुक्त, (प्रशासन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली।
2. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय 2-2 ए झालाना डूंगरी (प्रथम मंजिल) जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, भीलवाड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा
5. तहसीलदार, भीलवाड़ा को इस बाबत लेख है कि नियमानुसार भूमि का कब्जा देकर नक्शा, यथास्थिति रिपोर्ट तैयार करावें और लीज डीड शीघ्र तैयार करा भिजावें।

जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा